रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2011/ज्येष्ठ 4, 1933
No. 270] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2011/JYAISTHA 4, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2011

सा.का.नि. 403(अ).— केन्द्रीय सरकार मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बंगलौर मेट्रो रेल (दुर्घटना की सूचना और जांच) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** — (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनिमय" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है ;
(ख) "प्राधिकृत" से मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अभिप्रेत है ;
(ग) "आयुक्त" से धारा 7 के अधीन नियुक्त मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त अभिप्रेत है ;
(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबंध कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;
(ङ) "यात्री" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधिमान्य टिकट या पास के साथ बंगलौर मेट्रो रेल में यात्रा कर रहा है ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद किंतु जो परिभाषित नहीं किए गए हैं और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 में परिभाषित किए गए हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम में हैं ।

3. सूचनाओं में दी गई विशिष्टियां -- जहां मेट्रो रेल के कार्यचालन के अनुक्रम में, --

(क) किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना जिसमें किसी मानव जीव की हानि, या भारतीय दंड संहिता में यथापरिभाषित घोर उपहति ; या

(ख) रेलगाड़ियों के बीच कोई टक्कर ; या

(ग) यात्रियों का वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी या ऐसी रेलगाड़ी के किसी भाग का पटरी पर से उतरना ; या

(घ) किसी प्रकार की ऐसी कोई दुर्घटना जिसमें प्रायः मानव जीवन की हानि या यथापूर्वोक्त घोर उपहति होती है ; या

(ङ) किसी अन्य प्रकार की ऐसी कोई दुर्घटना जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे ;

तब जहां दुर्घटना हुई है, मेट्रो रेल के अनुभाग का मेट्रो रेल पदीय भारसाधक बिना विलंब के दुर्घटना की सूचना फार्मेट ओर प्ररूप 1 में यथारूप से दी गई विशिष्टयों को अंतर्विष्ट करते हुए देगा ।

4. सूचनाओं को भेजने का ढंग -- बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन, अधिनियम की धारा 38 के अधीन बिना विलंब के दुर्घटनाओं की सूचनाओं को ई-मेल, टेलीफैक्स या टेलीफोन या विशेष संदेशवाहक के माध्यम या ऐसे अन्य साधनों द्वारा भेजेगा जो उपलब्ध हों और आवश्यक समझे जाएं ।

5. दुर्घटना स्थल पर पहुंचने की सुविधा -- जब कभी बंगलौर मेट्रो रेल के कार्यचालन के अनुक्रम में कोई दुर्घटना हो तो मेट्रो रेल प्रशासन, अधिनियम की धारा 38 के अधीन नियुक्त उपायुक्त या मजिस्ट्रेट को या जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जांच आयोग को या किसी अन्य प्राधिकारी को जिसको उक्त जांच आयोग अधिनियम के सभी या कोई उपबंध लागू होते हैं, और आयुक्त, चिकित्सा अधिकारियों, पुलिस और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को उन्हें शीघ्र दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए उनहें समर्थ बनाने के लिए युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा और एसे प्राधिकारियों की जांच करने में और दुर्घटना के कारण के विषय में साक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगा ।

6. आयुक्त या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित जांच के स्थान पर मेट्रो रेल कर्मचारियों की उपस्थिति - जब आयुक्त द्वारा नियम 7 के अधीन जांच की जा रही हो तब बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन, किसी बंगलौर मेट्रो रेल कर्मचारी की जांच के स्थल पर जब आवश्यक हो, उसकी उपस्थिति के लिए व्यवस्था करेगा जिसका साक्ष्य ऐसी जांच पर आवश्यक है, और बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन का भारसाधक आफिसर --

(क) तारीख, घंटा और उस स्थान की सूचना भी दिलवाएगा जिसको नियम 10 के उपनियम (1) के खंड (ख), खंड (ग), और खंड (घ), में उल्लिखित अधिकारियों को दी जाने वाली जांच आरंभ होगी ।

(ख) यदि जांच में साक्ष्य के रूप में अपेक्षित हो तो बंगलौर मेट्रो रेल कर्मचारियों की उपस्थिति की भी व्यवस्था करेगा ।

7. धारा 43 के अधीन दुर्घटना की जांच और उसकी रिपोर्ट की प्रक्रिया – (1) अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी सूचना की प्राप्ति पर जिसमें ऐसी दुर्घटना के घटित होने की जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन की हानि या घोर उपहति हुई है जिससे किसी यात्री को स्थायी प्रकृति की पूर्ण या आंशिक निशक्तता हुई है, आयुक्त यथा संभव बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन के भार साधक आफिसर को जांच करने के अपने आशय को अधिसूचित करेगा और साथ ही जांच की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और उसे संसूचित करेगा ।

(2) जांच संचालित करते समय आयुक्त, मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, उपायुक्त और संबद्ध जिले के पुलिस आयुक्त को सूचित करेगा या सूचना दिलवाएगा ।

(3) यथास्थिति, उपायुक्त या पुलिस उपायुक्त यथासंभव वैयक्तिक रूप से आयुक्त द्वारा संचालित की जाने वाली जांच में उपस्थित रहेगा या जांच पर उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करेगा ।

(4) यथास्थिति किसी दुर्घटना, टक्कर, गाड़ी के पटरी पर से उतरने की बाबत कोई जांच पूरा हो जाने पर आयुक्त, संक्षिप्त प्रारंभिक रिपोर्ट रेल सुरक्षा, मुख्य आयुक्त को भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट तथ्यपरक होगी और इसमें आलिप्त व्यक्तियों के लिए कोई प्रतिनिर्देश अंतर्विष्ट नहीं होगा ।

(5) आयुक्त, यथासंभव अपनी जांच पूरी करेगा और रेल सुरक्षा, मुख्य आयुक्त को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) उप नियम (5) में निर्दिष्ट विस्तृत रिपोर्ट गोपनीय होगी और उसमें नियम 11 के उपनियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी ।

(7) आयुक्त अपनी रिपोर्टों की प्रतियां निम्नलिखित को अग्रेषित करेगा --

(i) बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन
(ii) भारत सरकार (शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय)
(iii) कर्नाटक सरकार और ;
(iv) निदेशक, आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय भारत सरकार और पुलिस आयुक्त, बंगलौर यदि आयुक्त यह पाता है कि दुर्घटना तोड़-फोड़ या रेलगाड़ी के ध्वस्त हो जाने के कारण हुई है ।

(8) रेल सुरक्षा मुख्य आयुक्त रिपोर्ट के प्रकाशन के संबंध में सिफारिश करेगा और तदनुसार शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय को सूचित करेगा :

परंतु यदि शहरी विकास मंत्रालय का रिपोर्ट के प्रकाशन के विषय में रेल सुरक्षा मुख्य आयुक्त की सिफारिशों पर कोई पूर्वरक्षण है तो मामला केन्द्रीय सरकार के सिविल विमानन मंत्रालय द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

8. धारा 40 के अधीन मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना की जांच -- (1) यदि किसी कारण से आयुक्त ऐसी किसी दुर्घटना के घटित होने के पश्चात् किसी पूर्वतम तारीख को अधिनियम की धारा 38 के अधीन आने वाली किसी दुर्घटना की जांच करने में असमर्थ रहता है तो वह उसके द्वारा जांच क्यों नहीं किए जाने के कारण के विषय में बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन के किसी भार साधक आफिसर को यह अधिसूचित कर सकेगा ।

(2) जहां अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा ऐसी जांच नहीं की जाती है या जहां आयुक्त ने उस धारा की उपधारा (2) के अधीन बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन को सूचित किया है कि वह किसी जांच को करने में समर्थ नही है, वहां बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन का भार साधक आफिसर नियम 11 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाने वाली जांच कराएगा ।

9. मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा जांच प्रक्रिया -- अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन सूचना के प्राप्त होने पर बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन का भार साधक आफिसर वह उन कारणों के जिससे यथास्थिति दुर्घटना, टक्कर या गाड़ी पटरी से पर से उतरी है, पूरे अन्वेषण के लिए बंगलौर मेट्रो रेल के पदधारियों की समिति गठित करके जांच (जिसे संयुक्त जांच या विभागीय जांच कहा जाएगा) कराएगा ।

10. संयुक्त जांच या विभागीय जांच की सूचना -- जब कभी संयुक्त जांच या विभागीय जांच की जानी हो तब बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन का भार साधक आफिसर वह तारीख, स्थान और घंटे जिसको जांच आरंभ होगी, की सूचना दिलवाएगा जो निम्नलिखित अधिकारियों को दी जाएगी, अर्थात् :-

(क) बंगलौर मेट्रो रेल जिसको दुर्घटना घटित हुई है, से संबद्ध आयुक्त ;

(ख) उसे जिले का उपायुक्त जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना घटित हुई है या ऐसा अन्य अधिकारी जो कर्नाटक सरकार इस निमित्त नियुक्त करे ;

(ग) पुलिस आयुक्त जिसकी अधिकारिता में ऐसा स्थान है जहाँ दुर्घटना घटित हुई है ; और

(घ) पुलिस थाने का भार साधक आफिसर जिसकी अधिकारिता में ऐसा स्थान है ।

(2) उस तारीख, स्थान और घंटे को जिसको ऐसी जांच प्रारंभ होगी, ऐसे नियत किया जाएगा जिससे उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके जहां जांच होनी है ।

11. संयुक्त जांच और विभागीय जांच के लिए प्रक्रिया और उस पर की गई कार्रवाई – (1) संयुक्त जांच या विभागीय जांच, पर्याप्त रूप से विस्तृत होगी जिसमें दुर्घटना के कारण को इंगित किया जा सके और ऐसी जांच के पूरा होने के पश्चात् रिपोर्ट बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन के भार साधक आफिसर को प्रस्तुत की जाएगी और ऐसी रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

(क) दुर्घटना का संक्षिप्त वर्णन ;
(ख) दुर्घटना के अवस्थान का वर्णन ;
(ग) लिए गए साक्ष्य का विस्तृत कथन ;
(घ) असहमति के टिप्पण सहित साथ प्राप्त निष्कर्ष, यदि कोई हो ;
(ङ) प्राप्त निष्कर्षों के लिए कारण ;
(च) किए गए नुकसान की प्रकृति और विस्तार ;
(छ) जब आवश्यक हो, दुर्घटना का दृष्टांत खाका ;
(ज) मारे गए या आहत मेट्रो रेल कर्मचारियों की संख्या ;
(झ) मारे गए या आहत यात्रियों की संख्या ;
(ञ) क्या यह प्रणाली की चूक रही है या किसी व्यष्टि की चूक ;
(ट) दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी कर्मचारिवृंद द्वारा अतिक्रमण किए जाने वाले नियमों का निष्कर्षण अंतर्विष्ट करने वाला परिशिष्ट ; और
(ठ) प्रस्तावित उपचारात्मक कार्यवाही ।

(2) बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन का भारसाधक आफिसर उस कार्यवाही के बारे में जो दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कर्मचारिवृंद के विषय में या नियमों के पुनरीक्षण के लिए या कार्यकरण की प्रणाली के पुनरीक्षण के लिए किए जाने के लिए आशयित है, अपनी सिफारिशों के साथ आयुक्त को उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्रति भेजेगा ।

12. आयुक्त द्वारा अपेक्षित की जाने वाली धारा 45 के अंतर्गत दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट – (1) जब कभी कोई दुर्घटना, जो अधिनियम की धारा 38 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की नहीं है, जैसे टाली जा सकने वाली टक्करों, नियमों के भंग या अन्य तकनीकी दुर्घटनाएं मेट्रो रेल के कार्यकरण के दौरान होती है तब बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन का भार साधक आफिसर नियम 11 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार दुर्घटना में की जाने वाली किसी जांच को या तो संयुक्त जांच या कोई विभागीय जांच से करवाएगा ।

13. दुर्घटनाओं की विवरणी – प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन का भारसाधक आफिसर केन्द्रीय सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय प्ररूप - 2 में सभी दुर्घटनाओं, चाहे कोई व्यक्ति आहत हो या नहीं, की एक विवरणी भेजेगा जो उसे वित्तीय वर्ष के दौरान बंगलौर मेट्रो रेल को घटित हुई थी ।

1888 GI/11-2

IndiaCode

प्ररूप - 1

(नियम 3 देखिए)

मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अधीन दुर्घटना की सूचना

दुर्घटना का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(क) दुर्घटना का समय और तारीख :-
(ख) दुर्घटना की प्रकृति :-
(ग) किलोमिटरेज या स्टेशन या दोनों जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो :-
(घ) रेलगाड़ी या रेलगाड़ियों की संख्या और वर्णन :-
(ङ) मारे गए या आहत व्यक्तियों की संख्या, जहां तक ज्ञात है :-
(च) यातायात का संभाव्य निरोध :-

प्ररूप - 2

(नियम 13 देखिए)

मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 46 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी दुर्घटनाएं जो वर्ष के दौरान हुई हैं, विवरणी

क्रम संख्या	दुर्घटना की तारीख	दुर्घटनाओं का संक्षिप्त विवरण	इस प्रकृति के दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कार्यावाही	टिप्पणियां

[फा. सं. के-14011/45/2010-मेट्रो]

एस. के. लोहिया, ओएसडी (शहरी यातायात) और पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2011

G.S.R. 403(E).—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. **Short title and Commencement.**– (1) These rules may be called the Bangalore Metro Railway, (Notice of Accidents and Inquiries) Rules, 2011.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1)In these rules , unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

(b) "authorised" means authorised by the Bangalore metro railway administration;

(c) "Commissioner" means the Commissioner of Metro Railway Safety appointed under section 7 of the Act;

(d) "Form" means a Form appended to these rules;

(e) "passenger" means a person travelling on the Bangalore Metro Railway with a valid ticket or pass;

(2) The words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002, shall have the meanings, respectively, assigned to them in that Act.

3. **Particulars to be given in the notices.** – Where, in the course of working of Bangalore Metro a metro railway,-

(a) any accident attended with loss of any human life, or with grievous hurt, as defined in the Indian Penal Code; or

(b) any collision between trains; or

(c) The derailment of any train carrying passengers, or of any part of such train; or

IndiaCode

(d) any accident of a description usually attended with loss of human life or with such grievous hurt as aforesaid; or

(e) any accident of any other description which the Central Government may notify in this behalf in the Official Gazette,

Occurs, the metro railway official in charge of the section of the metro railway on which the accident occurs, shall, without delay, give notice of the accident in the format and containing the particulars as given in Form I.

4. **Mode of sending notices.**– The Bangalore Metro railway administration shall send the notices of accident under section 38 of the Act without delay by email, telefax, or telephone, or through a special messenger, or such other means as may be available and considered necessary.

5. **Facility for reaching the site of accident.**– Whenever any accident has occurred in the course of working Bangalore metro railway, the Bangalore Metro Railway Administration shall give all reasonable assistance to the Deputy Commissioner or the Magistrate appointed under section 38 of the Act, or to the Commission of Inquiry appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or any other authority to whom all or any of the provisions of the said Commission of Inquiry Act applies, and to the Commissioner, medical officers, the police and others concerned to enable them to reach the site of the accident promptly, and shall also assist such authorities in making inquiries and in obtaining evidence as to the cause of the accident.

6. **Attendance of metro railway employees at place of Inquires conducted by Commissioner or a Magistrate.**–When an inquiry by the Commissioner under rule 7, is being made, the Bangalore Metro Railway Administration shall arrange for the attendance, as may be necessary, at the place of inquiry, of any Bangalore metro railway employee whose evidence is required at such inquiry and the Officer in-charge of the Bangalore Metro Railway Administration shall also –

(a) cause notice of the date, hour and place at which the inquiry shall begin to be given to the officers mentioned in clauses (b), (c) and (d) of sub-rule (1) of rule 10; and

(b) arrange for the attendance of the Bangalore Metro railway employees, if required as witness at the inquiry.

7. **Procedure for inquiry into accident and report thereon under section 43.**– (1) On receipt of notice under sub – section (2) of section 38 of the Act of the occurrence of an accident resulting in loss of human life or

grievous hurt causing total or partial disablement of permanent nature to a passenger, the Commissioner shall, as soon as may be, notify the Officer in-charge of the Bangalore Metro Railway Administration of his intention to hold an inquiry and shall, at the same time, fix and communicate the date, time and place of the inquiry.

(2) The Commissioner shall, while conducting an inquiry, inform or cause to inform the Chief Secretary of the Government of Karnataka, the Deputy Commissioner and the Deputy Commissioner of Police of the district concerned.

(3) The Deputy Commissioner or the Deputy Commissioner of Police, as the case may be, shall, as far as possible attend the inquiry conducted by the Commissioner personally or depute some other officer to represent him at the inquiry

(4) On completion of an inquiry in respect of any of the accidents, collisions or derailments, as the case may be, the Commissioner shall submit a brief preliminary report to the Chief Commissioner of Railway Safety and such report shall be factual and shall not contain any reference to persons implicated.

(5) The Commissioner shall as soon as possible complete its inquiry and submit a detailed report to the Chief Commissioner of Railway Safety.

(6) The detailed report referred to in sub-rule (5) shall be confidential and shall contain particulars as specified under sub-rule (1) of rule 11.

(7) The Commissioner shall forward copies of his reports to -

(i) the Bangalore Metro Railway Administration
(ii) the Government of India (Ministry of Urban Development and Ministry of Railways);
(iii) the Government of Karnataka; and
(iv) the Director, Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India and the Commissioner of Police, Bangalore, if the Commissioner finds that the accident was caused by sabotage or train wrecking.

(8) The Chief Commissioner of Railway Safety shall make recommendation in regard to the publication of the report and

inform the Ministry of Urban Development and Ministry of Railways accordingly:

provided that in case the Ministry of Urban Development has reservations on the recommendations of the Chief Commissioner of Railway Safety regarding publication of the report, the matter shall be decided by the Central Government in the Ministry of Civil Aviation.

8. **Inquiry into accidents by metro railway administration under section 40.–** (1) If for any reason, the Commissioner is unable to hold an inquiry into an accident covered under section 38 of the Act at an early date after the occurrence of such an accident, he shall notify to the Officer in-charge of the Bangalore Metro Railway Administration the reason as to why the inquiry cannot be held by him.

(2) Where no such inquiry is held by the Commissioner under sub-section (1) of section 39 of the Act or where the Commissioner has informed the Bangalore Metro Railway Administration under sub-section (2) of that section that he is not able to hold an inquiry, the Officer in-charge of the Bangalore Metro Railway Administration shall cause an inquiry to be made in accordance with the procedure specified in sub rule (1) of rule 11.

9. **Procedure for inquiry by metro railway administration.–** On receipt of the information under sub-section(2) of section 39 of the Act, the Officer in-charge of the Bangalore Metro Railway Administration shall cause an inquiry (to be called a joint inquiry or a departmental inquiry) by constituting a committee of the Bangalore Metro Railway officials for a thorough investigation of the causes which led to the accident, collision or derailment, as the case may be.

10. **Notice of joint inquiry or departmental inquiry.–** (1) Whenever a joint inquiry or departmental inquiry is to be made, the Officer in-charge of the Bangalore Metro Railway Administration shall cause notice of the date, place and hour at which the inquiry shall commence, to be given to the following officers, namely:–

(a) the Commissioner concerned of the Bangalore metro railway on which the accident occurred;

(b) the Deputy Commissioner of the district in whose jurisdiction the accident occurred or such other officer as the Government of Karnataka may appoint in this behalf;

(c) the Deputy Commissioner of the police having jurisdiction at the place where the accident occurred; and

(d) the officer-in-charge of the police station having jurisdiction at such place.

(2) The date, place and hour at which the inquiry shall commence shall be fixed so as to give the officers mentioned in sub-rule (1) sufficient time to reach the place where the inquiry is to be held.

11. **Procedure for joint inquiry or departmental inquiry and action to be taken thereon.**– (1) The joint inquiry or departmental inquiry shall be sufficiently detailed so as to point out the cause of the accident and after completion of such inquiry, the report shall be submitted to the Officer in-charge of the Bangalore Metro Railway Administration and such report shall contain the following particulars, namely:-

(a) brief description of the accident;
(b) description of the locality of the accident;
(c) detailed statement of the evidence taken;
(d) the conclusions arrived at together with a note of dissent, if any;
(e) reasons for conclusions arrived at;
(f) the nature and extent of the damage done;
(g) when necessary, a sketch illustrative of the accident;
(h) the number of metro railway employees killed or injured;
(i) the number of passengers killed or injured;
(j) whether it has been a system failure or failure of an individual;
(k) an appendix containing extracts of the rules violated by the staff responsible for the accidents; and
(l) remedial action proposed.

(2) The Officer in-charge of the Bangalore Metro Railway Administration shall, with his recommendations as to the action which is intended to be taken in regard to the staff responsible for the accident, or for the revision of rules, or the revision of the system of working, forward a copy of the report referred to in sub-rule (1) to the Commissioner.

12. **Reports of inquiries into accidents covered by section 45 to be forwarded to Commissioner.**– (1) Whenever any accident, not of the nature specified in section 38 of the Act, such as averted collisions, breach of rules, or other technical accidents, occurs in the course of

working of a metro railway, Officer in-charge of the Bangalore Metro Railway Administration shall cause an inquiry, either a joint inquiry or a department inquiry to be held into the accident in accordance with the procedure specified in sub- rule (1) of rule 11.

13.**Return of accidents.** – (1) At the end of each financial year, the Officer in-charge of the Bangalore Metro Railway Administration shall send to the Central Government in the Ministry of Urban Development and the Ministry of Railways a return of all accidents that occurred on the Bangalore Metro railway during that financial year, whether attended with injury to any person or not in Form II.

FORM I

(See rule 3)

Notice of Accident under section 38 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002

Details of the accident are as under:-

(a) time and date of the accident:-

(b) nature of the accident:-

(c) kilometerage, or station or both, at which the accident occurred:-

(d) number and description of the train or trains:-

(e) number of persons killed or injured, as far as is known:-

(f) cause of the accident, as far as is known:-

(g) probable detention to traffic:-

FORM II

(See rule 13)

Return of accidents which occurred during the year to be submitted under section 46 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002

Sl. No.	Date of accident	Brief details of the accident	Action taken to prevent recurrence of accidents of this nature	Remarks

[F. No. K-14011/45/2010-Metro]

S. K. LOHIA, OSD (Urban Transport) & E.O. Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.